

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

सं. एफ.7(1)संसद/2010

जयपुर, दिनांक: 11-11-2022

अधिसूचना


राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-घ के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 3 में, विद्यमान उप-नियम (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (2) से पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (1क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है, विदेश यात्रा के लिए उसके अनुरोध पर विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा ऐसी यात्रा के लिए दिये गये अनुमोदन के पश्चात् या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों सहित, उसके द्वारा संदत्त किये गये वायुयान, पोत या स्टीमर के वास्तविक किराये के बराबर रकम का पुनर्भरण, अधिनियम की धारा 4-घ की उप-धारा (1) के अधीन संसुगत वर्ष में उपलब्ध रकम में से प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, ऐसी विदेश यात्रा की अनुज्ञा से संबंधित जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और/या बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन होगी।"

राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT**

No. F.7(1)Sansad/2010

Jaipur, dated : 11-11-2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 4-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010, namely:-


1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010, after the existing sub-rule (1) and before the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (1A) shall be inserted, namely:-

"(1A) Every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive, from out of the amount available in the relevant year under sub-section (1) of section 4-D of the Act, reimbursement of amount equivalent to actual fare of journey abroad by air, ship or steamer paid by him, either alone or with persons accompanying him after approval of his request for such journey being accorded by the Speaker of the Legislative Assembly. Such journey shall be subject to compliance of guidelines issued and/or rules made relating to permission of such journey abroad by the Government of India and State Government, from time to time."

By Order of the Governor,



(Praveer Bhatnagar)
Principal Secretary to the Government.